निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 23/2021 (रसद अपील)

मैसर्स हनुमान सहाय बैरवा प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकानदार डाहर, ग्राम पंचायत बल्लूपुरा तहसील चाकसू, जिला जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, ज़यपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकानदार डाहर, ग्राम पंचायत बल्लूपुरा तहसील चाकसू, का प्राधिकार पत्र निर्णय दिनांक 08.04.2021 से निरस्त कर धरोहर राशि 1000/—रूपये जब्त सरकार करने के आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :—

1. श्री आर पी शर्मा एवं श्री ब्रजेश पारीक अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 01.09.2022**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मैसर्स हनुमान सहाय बैरवा प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकानदार डाहर, ग्राम पंचायत बल्लूपुरा तहसील चाकसू, जिला जयपुर का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के निर्णय दिनांक 08.04.2021 से निरस्त कर धरोहर राशि 1000/—रूपये जब्त सरकार करने के आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर विभागीय पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी के विरूद्व गंगाराम मीणा अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी चाकसू से शिकायत खाद्य मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर उसकी पालना में जांच परिवादी व रूबरू मोतविरान एलानियां जन सुनवाई कर मजमें आम पूछताछ कर दिनांक 10.07.2020 को की गई मौके पर गंगाराम मीणा व उसके भतिजे मुकेश मीणा के बयान अलग से दर्ज कर शामिल फर्द किये गये। अपने बयानों मे गंगाराम मीणा द्वारा हनुमान सहाय के भाई पूर्व सरपंच रामफूल बैरवा द्वारा आवंटन समिति मे झूंठा शपथ पत्र देकर अपने भाई को साक्षात्कार मे नम्बर देकर डीलर

जिला कलक्टर
जयपुर

बनवाने एवं चारागाह मे प्रमाणित नक्शे के इतर एफ पी एस के संचालन के आरोप लगाये गये। मौके पर दुकान बन्द मिलने पर हनुमान सहाय को जरिये मोबाईल बुला कर जांच करवाई गई इस प्रकार मूल रूप से उक्त शिकायत पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बताई गई अनियमितता इस प्रकार है– (1) यह कि हनुमान सहाय बैरवा द्वारा ग्राम पंचायत बल्लुपुरा की एफ पी एस डाहर का अधिकृत राशन विक्रेता है । एफ पी एस का प्राधिकार पत्र 401/2018 तथा पी॰ ओ॰ एस॰ मशीन नम्बर 30907 है। (2) एफ पी एस डीलर का चयन 26.04.2018 को किया गया । साक्षात्कार के समय श्री रामफूल बैरवा ग्राम पंचायत बल्लुपुरा सरपंच होने के नाते साक्षात्कार कमेटी के सदस्य में बैठने से पूर्व घोषणा पत्र रामफूल बैरवा द्वारा दिया गया था। साक्षात्कार मे डीलर हनुमान बैरवा पुत्र मदन लाल बैरवा, रामफूल बैरवा सरपंच का छोटा भाई है। उक्त आवेदक को सरपंच के भाई द्वारा 10 में से 10 नम्बर दे कर चयन किया गया। अतः हनुमान बैरवा का चयन तथ्यों को छुपा कर किया गया है जो संदिग्ध है। (3) परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में डीलर की एफ पी एस का वितरण केन्द्र शालगरामपुरा से आगे जाने वाले 40 फिट मुख्य सडक से लिंक 30 फिट चौडी सी सी रोड पर होना ब्लू प्रिन्ट में दर्ज है। जिसे वितरण केन्द्र के रूप मे प्रमाणित किया गया । जबकि वास्तविक रूप से वर्तमान के नक्शे में दर्ज स्थान से अलग मुख्य 40 फिट डामर रोड पर वितरण केन्द्र बना कर कार्य किया जा रहा है। शिकायत मे उक्त अवैद्य वितरण केन्द्र को चारागाह भूमि में होना बताया है। इस विषय में जांच हेतु अधोहस्ताक्षकर्ता सक्षम नहीं है । अतः चारागाह भूमि है या नहीं उक्त विषय में तहसीलदार से रिपोर्ट लिया जाना अपेक्षित है। (4) शिकायत के क्रम में औचक निरीक्षण करने पर एफ पी एस बिना सूचना के बन्द पाई गई जो विभागीय निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है। (5) डीलर को बुला कर दुकान खुलवाकर जांच करने पर एफ पी एस पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पी ओ एस मशीन की स्लिप के आधार पर भौतिक सत्यापन करने पर 1.22 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। (6) परिवादियों द्वारा अपने बयानों में डीलर द्वारा समय पर गेहूं नहीं देने एवं मजबूरी वश यारलीपुरा काठावाला की एफ पी एस से गेहूं लेने की बात करते हुये शहर की एफ पी एस के स्थान पर निकटतम पंचायत की हनुमान सहाय की एफ पी एस से ही गेहूं दिलाने की मांग की है। (7) वक्त जांच डीलर द्वारा एम पी आर की प्रति एवं यूनिट रजिस्टर जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया। इस प्रकार वक्त निरीक्षण उक्त अनियमितताऐं बतला कर बिना किसी आधार के अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना बाला बाला ही जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने आदेश क्रमांक 1620 दिनांक 15.07.2020 के द्वारा प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर दिया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी के समक्ष लिखित में उपरोक्त बिन्दुओ का विस्तार पूर्वक जबाब प्रस्तुत किया। साथ ही लगभग 100 नियमित राशन उपभोक्ताओं की ओर से स्वतंत्र रूप से इस आशय के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये कि अपीलार्थी डीलर की ओर से खाद्यान्न सामग्री के वितरण में किसी प्रकार की कौताही नही बरती गई ना ही किसी प्रकार की कोई अनियमितता कारित की गई, लेकिन इसके बाजवूद भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये दिना आलौच्य आदेश दिनांक 08.04.2021 पारित कर दिया। आलौच्य निर्णय दिनांक 08.04.2021 विधि विरूद्व बिना जांच किये एवं जबाब पत्रावली पर मौजूद रिकार्ड के विरूद्व जा कर मनमाने रूप से पारित किया गया है,

जिला कलक्टर
जयपुर

जो निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रावली पर मौजूद रिकार्ड से यह साफ जाहिर हो रहा है कि उक्त मामला केवल मात्र राजनैतिक रंजिश वश प्रस्तुत किया गया है जिसमें जो शिकायत की गई वह गंगाराम मीणा परिवार स्वयं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है तथा राजनैतिक द्वेषता के तहत बिना किसी कानूनी अधिकार के अपनी राजनितिक पहुंच के आधार पर खाद्य मंत्री के यहां झूंठी शिकायत प्रस्तुत कर प्रवर्तन अधिकारी के उपर राजनैतिक दबाव डलवाते हुए बिना अपीलार्थी को प्रारम्भिक जांच का नोटिस दिये बिना ही बाला बाला तथाकथित रूप से मजमें आम में फर्द मौका एवं फर्द पूछताछ बनाई तथा खाली कागज पर पूर्व में ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवा लिये गये थे जिसको देखने मात्र से ही एक दम फर्जी एवं बनाटी लगती है। मौके पर जो बयानात दर्ज किये गये है वह दोनों एक ही परिवार के सदस्य है तथा चाचा भातिजा है और कान्ट्रेक्टर का कार्य करते है। इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत स्वयं ही राशन, प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा ना तो मौके पर जाकर किसी प्रकार की जांच की गई ना ही कोई बयान लिये गये सम्पूर्ण तथाकथित कार्यवाही अपने कार्यालय में बैठ कर ही आनन फानन मे तैयार की गई तथा अपीलार्थी को सुने बिना प्राधिकार पत्र का जल्दबाजी में ही निलम्बन कर दिया तथा उसके पश्चात भी प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया । अपीलार्थी स्वयं एवं उनके अधिवक्ता प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित रहे है, जिनका भी अंकन आदेशिका मे नहीं किया गया तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की पांलना किये बिना ही अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अवैद्य रूप से उक्त आलौच आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। आलौच्य निणर्य दिनांक 08.04.2021 पारित करने से पूर्व अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं ग्राम के मौजीज राशनकार्ड धारियों के शपथ पत्रों पर कतई गौर नहीं किया केवल मात्र प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बनाये गये बिन्दुओं को एक मात्र आधार मान कर आलौच्य आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलार्थी पर जो आरोप लगाये गये है वह निराधार है, जिनका विस्तृत रूप से अपने जबाब में अपीलार्थी द्वारा कथन किये गये है ऐसी सूरत में जब अपीलार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया है तो उनकी कानूनन जांच व विचारण न्याय संगत व स्वतंत्र रूप से होना चाहिये था। जब अपीलार्थी के पक्ष में सम्वन्धित पंचायत के लगभग 100 राशनकार्ड धारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है तो उनके काउन्टर में कोई शपथ पत्र या गवाही शिकायतकर्ता की ओर से या प्रवर्तन अधिकारी की ओर से स्वतंत्र रूप से ली जाकर पत्रावली पर लाना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने केवल मात्र प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए बिना किसी जांच के अपीलार्थी के खिलाफ निर्णय पारित कर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जो कि मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मामले में कनूनी प्रकियाओं का कतई पालन नहीं किया तथा आदेशिकाओं में अपने मनमानी ढंग से इन्द्राजात किये गये है जो देखने मात्र से ही लगते है । आदेशिका दिनांक 15.1.2021 को देखने मात्र से ही जाहिर हो रहा है कि उक्त प्रकरण का उसी दिन निस्तारण कर दिया था लेकिन उसने कांट छांट कर राजनैतिक दबाव के चलते उक्त दिवस को निर्णय पारित करने के उपरान्त भी अलग से राजनैतिक दबाव के चलते दुबारा आदेशिका लिख कर 01.02.20221 तारीख नियुक्त कर दी। इस प्रकार उक्त

जिला कलेक्टर
जयपुर

आलौच्य आदेश को पढने मात्र से ही यह साफ जाहिर हो रहा है कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा मामले का निस्तारण केवल मात्र राजनैतिक दबाव के चलते किया है किसी प्रकार की कोई फाईडिंग उक्त निर्णय में नहीं दी गई है केवल मात्र प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट को आधार मान कर निर्णय पारित किया गया है। जो सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को सर्व प्रथम दिनांक 15.04.2021 को प्राप्त हुई जिसके पश्चात अविलम्ब अपीलार्थी ने नकल के लिए आवेदन किया। जिसकी नकल दिनांक 19.04.2021 को प्राप्त हुई । लेकिन दुर्भाग्यवश कोविड 19 की कोरोना महामारी के चलतें लॉक डाउन के के कारण अपील प्रस्तुत नही की जा सकी । लॉक डाउन खुलते ही अविलम्ब अपील की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति में तत्कालीन सरपंच सदस्य के रूप में शामिल था तथा उनके द्वारा स्व घोषणा पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया कि साक्षात्कार में शामिल होने वाला आवेदन उसका पारिवारिक सदस्य हैं। साथ ही तत्कालीन सरपंच द्वारा तथ्यों को छिपा कर साक्षात्कार मण्डल में शामिल हो कर अपने परिवार के सदस्य के चयन में भूमिका निभाई है। अतः अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकान आवंटन में चयन विभागीय निर्देशों के अनुसार नहीं हुआ है। तहसीलदार चाकसू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार डीलर द्वारा उचित मूल्य दुकान का निर्माण खसरा नम्बर 680 किस्म चरागाह जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलार्थी का उक्त कृत्य विधि सम्मत नही है। भौतिक सत्यापन पर 1.22 क्विंटल गेहूं कम पाया गया है। जो गबन व दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यशक (वितरण का निनियमन आदेश 1976 की शर्त संख्या 1, 5, 6, 7 , 8, 17 सी व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने से जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. सर्वप्रथम हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलार्थी की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

8. प्रथम, जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा अपीलार्थी डीलर हनुमान बैरवा को ग्राम पंचायत बल्लुपुरा की उचित मूल्य दुकान डाहर का प्राधिकार पत्र संख्या 401/2018 जारी किया हुआ है तथा Pos मशीन नम्बर 30907 है। जिला रसद अधिकारी ने अपने आलौच्य आदेश में यह कहीं अंकित नहीं किया गया है कि उक्त दुकान आवंटन के लिए कुल कितने

जिला कलेक्टर
जयपुर

आवेदन प्राप्त हुये थे। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त दुकान आवंटन के लिए केवल मात्र उसका ही आवेदन प्राप्त हुआ था। यदि एक ही आवेदन प्राप्त हुआ है तो इस आरोप का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अपीलार्थी डीलर को वर्ष 2018 में उचित मूल्य दुकान का आवंटन किया गया है। उचित मूल्य दुकान आवंटन लिए गठित चयन कमेटी में कुल पांच सदस्य थे। अपीलार्थी को प्रत्येक सदस्य द्वारा 10–10 नम्बर दिये गये है। इसलिए प्रत्यर्थी का यह कथन कि डीलर को अपने भाई सरपंच सदस्य द्वारा 10 में से 10 नम्बर दिये जाकर दुकान आंवटित कराई गई है, मान्य नहीं है। द्वितीय, जिला रसद अधिकारी द्वारा वितरण केन्द्र को चरागाह की भूमि होना बताया है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा अपीलार्थी डीलर की उचित मूल्य दुकान के व्यवसाय स्थल का नक्शा अनुमोदन करते हुये प्राधिकार पत्र संख्या 401/2018 जारी किया गया है, फिर भी व्यवसाय स्थल बाबत आपत्ति है, तो न्यायहित में दुकान अन्यत्र शिपट किये जाने के लिए डीलर को समय दिया जा सकता है। तृतीय, भौतिक सत्यापन पर अपीलार्थी डीलर के पास स्टॉक में 1.22 क्विंटल गेहूं कम पाये जाने का आरोप है, परन्तु आलौच्य आदेश में कम पाये गये गेहूं की वसूली के लिए किसी प्रकार के निर्देश नहीं दिये गये है। अपीलार्थी डीलर ने जिला रसद अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार से नियमित रूप से राशन सामग्री प्राप्त करने के समर्थन में करीब 100 लोगों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनकी भी जांच नहीं की गई है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय की पत्रावली में दिनांक 30.07.2020 को डीलर के उपस्थित होने तथा डीलर से जबाब प्राप्त होने तथा पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्थ होने की आदेशिका लिखी हुई है। इसके पश्चात की सभी आदेशिकाओं में डीलर को निरन्तर अनुपस्थित बताया गया है। जबकि वर्ष 2020 व 2021 में कोरोना महामारी की वजह से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही नहीं किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा दिनांक 08.04.2021 को अपीलार्थी के विरूद्व आलौच्य आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। जिसे किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश व निर्णय दिनांक 08.04.2021 में हस्तक्षेप किया जाना उचित समझते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश व निर्णय दिनांक 08.04.2021 को निरस्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जा कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें। तब तकः अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाते है।

10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

11. निर्णय आज दिनांक **01.09.2022** को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर